भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3604**

(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

बैंकिंग नियमन तंत्र में सुधार

3604. श्री प्रभात झाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में देश की बैंकिंग प्रणाली की नियमन व्यवस्था में कई खामियां हैं और उन

खामियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को काफी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान नियमन व्यवस्था में कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है और इस दिशा में सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क) से (घ): बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 के संगत उपबंधों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा अन्‍य संगत विधानों द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग प्रणाली का विनियामक एवं पर्यवेक्षक है।

आरबीआई के पर्यवेक्षी मूल्‍यांकन की तुलना में बैंकों द्वारा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में पाये गये उच्‍च विपथन के कारणों और उनको रोकने के लिए आवश्‍यक उपायों; बैंकों में धोखाधड़ी की बढ़ती हुई घटनाओं के लिए उत्‍तरदायी कारकों की जांच करने तथा ऐसी धोखाधड़ियों के नियंत्रण तथा उनकी रोकथाम के लिए आवश्‍यक उपायों (सूचना प्रौद्योगिकी/हस्‍तक्षेप सहित) तथा धोखाधड़ी की ऐसी घटनाओं के उपशमन में बैंकों में कराई जाने वाली विभिन्‍न प्रकार की लेखा-परीक्षाओं की भूमिका एवं प्रभावकारिता की जांच करने के लिए आरबीआई ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

\*\*\*\*\*